पत्र संख्या/विभागीय आवास आवंटन/2020–21/ 1817 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक 22 सितम्बर, 2020

::आदेश::

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में वाणिज्य कर विभाग के लखनऊ स्थित विभागीय आवासों के आवंटन की ऑफ लाईन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए आवासों के आवंटन की प्रक्रिया को आनलाईन किया जाता है। वाणिज्य कर विभाग की आनलाईन व्यवस्था विभागीय वेबसाइट **www.comtax.up** में **Departmental Service** के **Online House Allotment** के अन्तर्गत उपलब्ध होगी।

विभागीय आवासों के आवंटन की आन लाईन प्रक्रिया निम्न प्रकार है:–

1 सर्वप्रथम प्रार्थी को आन लाइन अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

2 अधिकारी सवंर्ग से लेकर तृतीय श्रेणी कर्मचारी को रजिस्ट्रेशन से पूर्व अपना ई0आई0एम0एस0 अपडेट करना होगा अन्यथा आवास आवंटन हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रजिस्ट्रेशन के लिये इम्प्लाई आई0डी0 में पैन कार्ड नम्बर अंकित करना होगा।

4 रजिस्ट्रेशन के पश्चात सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आन लाइन रजिस्ट्रेशन का सत्यापन किया जायेगा।

5 रजिस्ट्रेशन के समय प्रार्थी के मोबाइल नम्बर पर यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। प्रार्थी द्वारा प्राप्त यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।

6 लॉगिन पश्चात आवास आवंटन फार्म खुलेगा जिसको प्रार्थी द्वारा भरा जायेगा।

7 फार्म भरने के पश्चात प्रार्थी को किस कालोनी में आवंटन चाहिये इसके लिये विकल्प भरना होगा।

8 विकल्प के समय प्रार्थी को कालोनी वार रिक्त आवास की संख्या पोर्टल पर प्रदर्शित होगी परन्तु कौन सा आवास रिक्त है यह प्रदर्शित नहीं होगा। कालोनी में आवास रिक्त नहीं होने की दशा में भी प्रार्थी द्वारा अपना विकल्प दर्ज किया जा सकता है।

9 हर माह के तृतीय शुक्र वार को आवास आवंटन समिति की बैठक होगी। जिसमें आन–लाइन प्राप्त प्रार्थना पत्रों को दिनांक सहित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

10 समिति द्वारा आवासों के आवंटन की संस्तुति एवं एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त आवास आवंटित किया जायेग। प्रार्थी को आवंटित किया गया आवास उसके लॉगिन पर प्रदर्शित होगा साथ ही उसके रजिस्ट्रर मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 द्वारा सूचना प्राप्त होगी।

11 आवेदक को पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। जिसमें आवेदक को आवंटित आवास को स्वीकार या कारण सहित अस्वीकार करना होगा।

12 आवेदक द्वारा आवंटित आवास स्वीकार करने पर आवास आवंटन आदेश अपलोड कर दिया जायेगा। जो आहरण वितरण अधिकारी के लॉगिन पर भी प्रदर्शित होने लगेगा।

13 आवेदक द्वारा आवंटित आवास अस्वीकार करने पर एडमिन के पास आवेदक के अस्वीकार के कारण को स्वीकार करने का अधिकार होगा। अगर एडमिन द्वारा अस्वीकार कारण को स्वीकार किया जायेगा तो आवेदक को पुनः आवास आवंटन में अपनी वरीयता दर्ज करनी होगी।

14 अगर आवंटी द्वारा पन्द्रह दिनों तक आवंटित आवास पोर्टल पर स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाता है तो आवेदक का आंवटित आवास निरस्त हो जायेगा और आवेदक को पुनः कालोनियों के लिये वरीयता दर्ज करनी होगी। उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा पुनः दर्ज की गई वरीयता अन्य आवेदकों द्वारा पूर्व में दर्ज की गई वरीयता के पश्चात दर्ज होगी।

विभागीय आवास आवंटन हेतु कोई भी प्रार्थना पत्र अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जायेगा। दिनांक 18.09.2020 तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों को आन लाईन प्रक्रिया में वरीयता दी जायेगी। कोई भी नया पंजीकरण

क्रमशः पृष्ठ सं०-2

दिनांक 18.09.2020 तक आफ लाइन प्राप्त प्रार्थना पत्रों के बाद दर्ज की जायेगी। पूर्व में आफ लाईन माध्यम से दिये गये प्रार्थना पत्रों के प्रार्थियों को भी आन लाइन फार्म भरना अनिवार्य होगा साथ ही विभागीय आवासों में निवास कर रहें अध्यासियों को भी आवंटन आदेश आन–लाईन अपलोड करना होगा।

संलग्नकः–आन–लाईन प्रक्रिया का दिशा–निर्देश।

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर, (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कमिश्नर कैम्प कार्यालय, वाणिज्य कर को कमिश्नर, वाणिज्य कर महोदया के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
2. अपर निदेशक, (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर लखनऊ।
3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1, मण्डल कार्यालय, लखनऊ।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5. डिप्टी कश्मिनर एवं आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
6. डिप्टी कमिश्नर, (प्रशासन), वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय लखनऊ।
7. डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को एक प्रति विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. विभागीय आवास चयन समिति के सदस्यगण।
9. डाक प्राप्ति पटल स्था०अराज० अनु०, वाणिज्य कर मुख्यालय।

21/09/2020

(पी0एन0यादव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर, (स्था0अराज0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।